न्यायालयः अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/एफ0टी0सी0(नवगठित) हरदोई

सत्र परीक्षण सं0–503/14

सरकार......................बनाम.....................मो० अकबर आदि।

आरोप

मैं, राजेश कुमार–V अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/एफ0टी0सी0 हरदोई आप अभियुक्तगण–**मो० अकबर एवं मो० संजय** को निम्नवत आरोपित करता हूं :–

यह कि तकरीबन तीन साल सात माह से अब तक स्थान मकान प्रतिवादी मो० अल्लापुर थाना शाहाबाद जिला हरदोई में आप लोगों ने एक राय होकर सामान्य आशय की पूर्ति में वादी मुकदमा अहमद रजा की भतीजी नूरी को दहेज की मांग को लेकर शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित किया। इस प्रकार आप लोगों ने भा0दं0सं0 की धारा 498A के अंतर्गत दण्डनीय अपराध किया है, जो इस न्यायालय के संज्ञान में है।

यह कि दिनांक 03.06.14 को आप लोगों ने एक राय होकर सामान्य आशय की पूर्ति में वादी मुकदमा उपरोक्त की भतीजी नूरी को दहेज की मांग को लेकर मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जब उक्त दहेज की मांग उसकी भतीजी नूरी पूरी नहीं कर सकी तो आप लोगों ने उक्त दहेज की मांग को लेकर उसे जान से मारकर फांसी पर लटका दिया । इस प्रकार आप लोगों ने भा0दं0सं0 की धारा 304B के अंतर्गत दण्डनीय अपराध किया है, जो इस न्यायालय के संज्ञान में है।

यह कि आप लागों ने एक राय होकर सामान्य आशय की पूर्ति में वादी मुकदमा उपरोक्त की भतीजी नूरी से दहेज में चार पहिया की गाड़ी, सोने की चैन व पांच लाख रूपया नगद दहेज की मांग की । इस प्रकार आप लोगों ने दहेज प्रति० अधि० की धारा 3/4 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध किया है जो इस न्यायालय के संज्ञान में है।

एतद्द्वारा आपको निर्देशित किया जाता है कि आप लोगों का विचारण उपरोक्त आरोप के अंतर्गत इस न्यायालय द्वारा किया जाएगा।

(राजेश कुमार–V)

दिनांकः 20.08.2016 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/एफ0टी0सी0(नवगठित) हरदोई।

आरोप अभियुक्तगण को पढ़कर सुनाया व समझाया गया । अभियुक्तगण ने आरोपों को अस्वीकार किया तथा परीक्षण की मांग की ।

(राजेश कुमार–V)

दिनांकः 20.08.2016 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/एफ0टी0सी0(नवगठित) हरदोई।